


24578

पञ्चावली वार्ड केम्प आमलीगाड पर
 पेशा/प्राथी स्वीकार व प्रतिवादी संख्या 1,3
 व-उत्तरे अधिवक्ता ने उपरोक्त होकर
 राजीनामा पत्र पेश किया गया राजीनामे
 में दोनों पक्षों के बिच यह सहमती हुई
 है कि, पश्चात् अपने अपने आराज्यात
 की पत्थरगदी करोंको असेर मोके करूं
 जिस शवालेदार की भूमि पर शवालेदार
 का कब्जा अधिब, होगा उस को
 कब्जा छोड़ कर जिस के हक्क में
 हक्क भूमि बिक लती होगी उसके
 पक्ष में कब्जा छोड़ देगे। मोके पर कोई
 विवाद आदरसे नही करेगे।


 नि. शंकर

पु. सु. मा. ल.
 नि. गोरखन


प्रतिवादी संख्या 2 की मूल्य होने
 से प्राववादी अधिवक्ता ने प्राथी पत्र
 वारिसन का पेश किया गया जिसे
 स्वीकार किया जाता है।

वादपत्र के लक्ष्य इस प्रकार
 है कि ग्राम कावरा (परवार हल्ला)
 आमलीगाड के आ. नं 55, 56, 57, 58,
 59, 60, 61, 62 कितने कुल शवाला
 07 बिसवा 03 बिसवा में वादीगाण
 एवं प्रतिवादीगाण संयुक्त कब्जे
 की आराजी संयुक्त शवालेदार है

उक्त आराज्यात में वादीगाण
 का 1/2 हक्क हिस्सा निहित है एवं
 प्रतिवादीगाण 1/2 लगापत 1/2 का भी 1/2
 हिस्सा निहित है वादीगाण उत्तरदेश
 में स्थित आराजी पर काब्जा है।

२५

एव धातव्यादेः अ-उ-इ ॥ इ-द-वि-प-त
दि-प-त-त-मि-रि-प-त-आ-रा-ज-ी-प्र-र-प-त-त-
इ-उ-व-त-आ-रा-जि-पा-त-क-क-व-ह-मी

वलवाडा भी कर रहा है, एवं मोठे
 पर अपने-अपने इकाइयों पर काबिज
 होकर उपयोग-उपयोग कर रहे हैं इस
 कारण उक्त आराजीपात का विभाजन
 विदा जाकर वादीगण का उत्तर दिशावी
 तरफ स्थित 1/2 इकाइयों का श्वातदार
 वास्तुवाइ होकर विदा जाने का दिशा
 धारण का जावे।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा 05 लगात
 11 ने उक्त आराजीपात की फलशर्दी
 जारी प.स. 84/15 निर्णय दिनांक 12/3/16
 की पालना में दिनांक 30/5/2017 को कर्षाई
 गइ जिसमें आराजी नम्बर 38 श्वातदार
 विरवा जो वादीगण के हिस्से में है, में से
 03 विरवा भूमि पर प्रतिवादीगण से 4
 न काबजा कर रहा है, उक्त आराजी न
 38 श्वातदार में वादीगण का 1/2 हिस्सा है
 जो किन काहमी वलवाडे में उक्त सम्पूर्ण
 श्वातदार वादीगण के हिस्से में है, अतः
 वादी का दिशा परमाई जावे एवं प्रतिवादीगण
 से 4 का कदखला कर वादीगण का
 काबजा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण से
 4 का 03 विरवा से काबजा हटाया जा
 कर वादीगण का दिया जावे।

पञ्चावली में प्रस्तुत दस्तावेज व
 उपस्थित परमकारों का सुना गया।

आदेश

नाहसीलदार हमीरगढ़ का आदेश
दिया जाता है कि ग्राम काबर
के आराजा नाम 55 से 62 विला
कुल रकबा 07 ~~विला~~ 03 ~~विरवा~~
का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या
है ॥ का हक हिस्सा का विपणन
बदना 51 दिया जावे। एवं आराजा

वा

58 शकबा 07 बिरवा मे से 03 बिरवा
 पति। से पका कका खलाप गपा है जिस
 की सुमलाल पुत्र वानु वंगरा बोकु शंकर
 लाल वंगरा ने आ. न. प. 5 शकबा 1.13 बिरवा
 पथरादी का पुकारण दर्ज है। जिसके
 आदेश पथरादी का दिवे गेप। उत. सम्भला
 कुनसार दोनो पक्षों को मा. ज. द. गी. से
 पथरादी की जाकर जिसका उा. ध. व. पु.
 का. ज. है उसे ध. उ. वा. का. संबंधित श. ता. वे. दा. र.
 का. का. ज. दे. क. डि. व. की जा. री. है।

शकबा कारेकेन अपना अपना वहन करे।
 आज दिनांक 25.5.18 का निर्णय
 कोर्ट के मा. ज. द. गी. से सुनाया गया।
 पनावली प. श. ल. शु. मा. र. हो. व. र. ज. म. र.
 से काम है।



पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ

कोर्ट वेम्प आमलोरागढ

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

- 1. श्री शंकर पिता रामचन्द्र निवासी काबरा
- 2. श्री गंगारी पत्नी ----- " -----

वादीगण

- 1. श्री कुमलाल पुत्र डेरा ^{उनवान} कुमावत निवासी काबरा
 - 2. श्री मोहन पुत्र डेरा कुमावत निवासी काबरा
 - 1. श्रीमेश्वर लाल / मोहनलाल कुमावत काबरा
 - 2. श्रीमेश्वर देवी D/O ----- " -----
 - 3. श्रीमती श्रीमती D/O ----- " -----
 - 4. श्रीमती श्रीमती D/O ----- " -----
 - 3. श्री गोवर्धन पुत्र गोवल कुमावत नि. काबरा
- दावा बाबत 53, 54, 183, 188 श. 00 अ P.T.

मुकदमा नम्बर :- 29/17

निर्णय दिनांक :- 24.5.18

वादी की ओर से 1 की व प्रतिवादी की ओर से 1, 3 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.5.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम काबरा के आसपास जम्बर 55 से 62 विला 8 शुका शक 07 ~~बिस्वा~~ ^{बिधा} 03 बिस्वा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण से 5 से 11 का हक हिस्सा काबरा अचरनार बलवाडा विधा जावे, एवं अचर 58 शक 07 बिस्वा से से 03 बिस्वा प्रति 20 से 4 का वाक्या कतादा गपा है जिस का कुमलाल पुत्र काबरा वंगरा 515 शंकरलाल वंगरा ने अचर 45 शक 1.13 बिस्वा का फसपसादी का प्रकरण दर्ज है जिस के आदेश फरगही के दिने गेप है अलासुमे तहसीलदार दोली कसी के मोजूफा में फसपसादी का जाकर जिसका अर्थेव्य काबरा है उसे हकवावर संबंधित शवातेदार का कता देना

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

~~पीठारीन अधिकारी~~

लोक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

उपखण्ड सहायक कलक्टर हमीरगढ

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ

- 4 श्री गजेश्वरी पुत्र गणेश कुमावत नि काकर
- 5 श्रीमती शर्मा पुत्री करदा
- 6 " वाची पुत्री
- 7 " दासी करदा
- 8 " गोविंद पित्त करदा
- 9 " श्री गीर पुत्री
- 10 " प्रेम पुत्री
- 11 " अंकुष पुत्री
- 12 लक्ष्मीकरा करदा

एतिकादीना